25-3-15	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। गवाह उपस्थित नहीं है। वकील प्रतिवादी साक्ष्य को समय चाहते हैं। अतः अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते साक्ष्य पत्रावली दि० 22-4-15 को पेश हो।	
	22-4-15 पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उप... P.O. साहब दौरे पर है। ~~अ... पर है / का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 13-5-15 को पेश हो। रीडर	
हजारी रामसरुप	13-5-15 पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है / का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 17-6-15 को पेश हो। गवाह हजारी, रामस्वरूप उप० हैं। रीडर	2111-17 1-6-15
कजोड़या हजारी रामसरुप हरजी	5-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर सलेमपुर में पेश हुई। वादी कजोड़या व प्रतिवादी हजारी, रामसहाय, हरजी उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उन्होंने तहसीलदार गंगापुर के यहां भूमि का विभाजन करा लिया है इसलिए इस दावे को चलाना नहीं चाहते हैं, दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी अपना दावा चलाना नहीं चाहता है अतः वादी को दावा वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी	

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

कजोडया पुत्र जीवा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. हजारी पुत्र जीवा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. रामस्वरूप पुत्र जीवा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. हरजी पुत्र जीवा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. लैंड होल्डर तहसीलदार तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 88/2008

वादी की ओर से वादी कजोडया की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी हजारी, रामस्वरूप, हरजी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी अपना दावा नही चलाना चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	